

कार्यालय नगर पंचायत नसीराबाद, जनपद रायबरेली

पत्रांक:-313 / न0प0न0 / 2025-26

दिनांक-22 दिसम्बर, 2025

सेवामें,

अपर जिलाधिकारी(प्रशा0) /
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय,
रायबरेली।

विषय-इण्डिया कोड पोर्ट पर विधायी प्रलेखों को अपलोड कराये जाने हेतु जनपद में अवस्थित नगर पंचायतों के गठन एवं सीमा विस्तार सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-1281/एल0बी0सी0/2025 दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासन के पत्र संख्या-5613(1)/नौ-1-2025-09ज/2022 दिनांक 16.12.2025 की प्रति संलग्न कर इण्डिया कोड पोर्ट पर विधायी प्रलेखों को अपलोड कराये जाने हेतु जनपद में अवस्थित नगर पंचायतों के गठन एवं सीमा विस्तार सम्बन्धी अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि नगर पंचायत नसीराबाद जनपद रायबरेली का गठन शासन की अधिसूचना सं0 2778/9-1-2016-297सा/13 लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 नगर विकास अनुभाग-1 के अर्न्तगत हुआ है, तत्कम में निकाय के गठन की अधिसूचना की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


अधिसूचना अधिकारी
अधिसूचना अधिकारी
नगर पंचायत नसीराबाद
रायबरेली

प्रतिलिपि-

1. विशेष सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

अधिसूचना अधिकारी
अधिसूचना अधिकारी
नगर पंचायत नसीराबाद
रायबरेली

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 2778/9-1-2016-297 सा/13
लखनऊ : दिनांक 29 दिसम्बर, 2016

o.c.t. 1/1/16

107

जिलाधिकारी

नसीराबाद
6/1/17

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत नसीराबाद जिला रायबरेली का गठन करने के लिये संकमणशील क्षेत्र घोषित करने हेतु अधिसूचना जारी करने के लिये आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-1858(1)/9-1-2016-297 सा/13 दिनांक 15 जून, 2016 को जारी की गयी और दिनांक 15 जून, 2016 को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूंकि, सरकारी अधिसूचना संख्या-1858(1)/9-1-2016-297 सा/13 दिनांक 15 जून, 2016 के अनुसरण में कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा-3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व स्थानीय प्रशासन के लिये जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुये अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संकमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संकमणशील क्षेत्र के लिये एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत-नसीराबाद जिला रायबरेली के रूप में जाना जायेगा ।

अनुसूची

ग्राम का नाम- नसीराबाद

ग्राम की चौहद्दी के गाटें

उत्तर					दक्षिण			
2586	2637	1075	3048	3099	1848	1904	2542	3063
2587	2638	1076	3049	3100	1849	1905	2544	3064
2588	2639	1077	3050	3101	1850	1906	3229	3065
2589	2640	1078	3051	3102	1851	1907	3230	3066
2590	2641	1079	3052	3103	1857	1908	3231	3067

(9)

2591	2642	1080	3053	3104	1858	1913	3233	3968
2592	2643	1081	3054	3105	1859	1914	3234	3969
2593	2644	1082	3055	3106	1860	1917	3235	3970
2594	2645	1083	3056	3107	1861	1918	3236	3971
2595	2646	1084	3057	3108	1862	2500	3237	3972
2596	2647	1085	3058	3115	1863	2501	3238	3973
2597	2648	1086	3059	3116	1864	2502	3239	3974
2598	2649	1087	3060	3117	1865	2503	3240	3975
2599	2650	1088	3061	3118	1866	2504	3241	3976
2600	2651	1089	3062	3119	1867	2505	3242	3977
2601	2652	1090	3063	3120	1868	2506	3243	3978
2602	2653	1091	3064	3121	1869	2507	3244	3979
2603	2654	1092	3065	1073	1870	2508	3245	3980
2604	2655	1093	3066	3041	1871	2509	3246	3981
2605	2656	1094	3067		1872	2510	3247	3982
2607	2657	1095	3068		1873	2511	3248	3983
2608	2658	1096	3069		1874	2512	3249	3984
2609	2659	1097	3070		1875	2513	3250	3985
2610	2660	1098	3071		1876	2514	3251	3986
2611	2661	1099	3072		1877	2515	3252	3987
2612	2662	1100	3073		1878	2516	3253	3988
2613	2663	1178	3074		1879	2517	3254	3989
2614	2664	1179	3075		1880	2518	3255	3990
2615	2665	1180	3076		1881	2519	3256	3991
2616	2666	1181	3078		1882	2520	3936	3992
2617	2667	1182	3079		1883	2521	3937	3993
2618	2668	1183	3080		1884	2522	3938	3994
2619	2669	1184	3081		1885	2523	3930	3995
2620	2670	1185	3082		1886	2524	3940	3996
2621	2671	1186	3083		1887	2526	3941	3997
2622	2672	1187	3084		1888	2527	3942	3998

[Handwritten signature]

2623	2673	1188	3085		1889	2528	3943	3999
2624	2674	1189	3086		1890	2529	3944	4000
2625	2675	1190	3087		1891	2530	3945	
2626	2676	2993	3088		1892	2531	3946	
2627	2677	2994	3089		1893	2532	3947	
2628	2678	2995	3090		1894	2533	3948	
2629	2679	2996	3091		1895	2534	3949	
2630	1057	2997	3092		1896	2535	3956	
2631	1058	3039	3093		1897	2536	3957	
2632	1059	3040	3094		1898	2537	3958	
2633	1060	3044	3095		1899	2538	3959	
2634	1061	3045	3096		1900	2539	3960	
2635	1062	3046	3097		1901	2540	3961	
2636	1074	3047	3098		1903	2541	3962	
पूरब					पश्चिम			
2543	3131	3181	3257	3349	569	1197	1266	
2545	3132	3182	3258	3350	570	1198	1267	
2546	3133	3183	3259	3351	571	1199	1268	
2547	3134	3184	3285	3352	572	1201	1269	
2548	3135	3185	3286	3354	573	1202	1270	
2549	3136	3186	3287	3355	574	1203	1271	
2550	3137	3187	3288	3356	575	1204	1272	
2551	3138	3188	3289	3357	576	1205	1273	
2552	3139	3189	3290	3358	577	1206	1274	
2553	3140	3190	3291	3359	578	1207	1275	
2554	3141	3191	3292	3360	579	1208	1276	
2555	3142	3192	3293	3361	580	1209	1277	
2556	3143	3193	3294	3362	581	1210	1278	
2557	3144	3194	3295	3363	582	1211	1279	
2558	3145	3195	3296	3364	583	1212	1280	
2559	3146	3196	3297	3365	584	1213	1281	

2560	3147	3197	3298	3366	585	1214	1282	
2561	3148	3198	3299	3367	586	1215	1199 / 4218	
2562	3149	3199	3300	3368	587	1216		
2563	3150	3200	3301	3369	592	1217		
2564	3151	3201	3302	3370	593	1218		
2565	3152	3202	3303	3390	594	1219		
2566	3153	3203	3304	3391	595	1220		
2567	3154	3204	3305		1157	1221		
2568	3155	3205	3306		1158	1222		
2569	3156	3206	3307		1159	1223		
2570	3157	3207	3325		1160	1224		
2571	3158	3208	3326		1161	1227		
2572	3159	3209	3327		1162	1231		
2573	3160	3210	3328		1163	1239		
2574	3161	3211	3329		1164	1240		
2576	3162	3212	3330		1165	1241		
2577	3163	3213	3331		1166	1246		
2578	3164	3214	3332		1167	1247		
2579	3165	3215	3333		1168	1248		
2580	3166	3216	3334		1169	1249		
2581	3167	3217	3335		1170	1249 / 4879		
2582	3168	3218	3336		1171	1250		
2583	3169	3219	3337		1172	1251		
2584	3170	3220	3338		1173	1252		
2585	3171	3221	3339		1174	1253		
3122	3172	3222	3340		1175	1254		
3123	3173	3223	3341		1176	1255		
3124	3174	3224	3342		1177	1256		
3125	3175	3225	3343		1181	1259		
3126	3176	3226	3344		1182	1260		
3127	3177	3227	3345		1193	1261		
3128	3178	3228	3346		1194	1262		

6

3129	3179	3229	3347		1195	1264		
3130	3180	3230	3348		1196	1265		

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ।

संख्या- 2778(2)/9-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि उक्त अतिरिक्त तथा एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50 प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।
आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव ।

संख्या-2778 (3)/9-1-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- (2) जिलाधिकारी, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शशिकान्त कनौजिया)
अनु सचिव ।